Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) जोन–4 की महिला उपायुक्त, जे.ई.एन., सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं संविदाकर्मी 1 लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार ।**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 फरवरी सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर एसआईयू इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) जोन–4 की महिला उपायुक्त, जे.ई.एन., सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं संविदाकर्मी को 1 लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर एसआईयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैने 400 वर्ग गज भूमि का आवासीय पट्टा प्राप्त करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में आवेदन कर रखा है, साथ ही मेरे पड़ोसियों ने भी आवासीय पट्टे हेतू आवेदन किया हुआ है। मेरी व मेरे पड़ोसियों की भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने की एवज में जेडीए जोन–4 की उपायुक्त श्रीमती ममता यादव तथा जे.ई.एन. श्याम मालू द्वारा पृथक–पृथक 3.5–3.5 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर ए.सी.बी. की जयपुर एसआईयू इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज दिनांक 07.02.2022 को **श्री सचिन शर्मा उप पुलिस अधीक्षक** मय टीम द्वारा जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपीयान 1)–श्रीमती ममता यादव पत्नि कृष्ण कुमार यादव निवासी शिक्षक कॉलोनी तक्षशिला स्कूल के पास बहरोड़ जिला अलवर, हाल निवासी पम्पोस अपॉर्टमेन्ट फ्लेट नं. 109 जगतपुरा नियर जवाहर सर्किल जयपुर, हाल उपायुक्त जे.डी.ए. जोन–4 जयपुर, 2)–श्याम मालू पुत्र श्री बाबूलाल जाति कुमावत निवासी चौकूटी जगनेर रोड़ बीकानेर, हाल निवासी मकान नं. ए 17 अमरनगर खातीपुरा जयपुर, हाल जे.ई.एन. जे.डी.ए. जोन–4 जयपुर, 3)–रामतूफान मुंडोतिया पुत्र प्रभातराम जाति रैगर निवासी ए/72 श्याम मित्र मण्डल नगर रोड नं. 5 वी.के.आई. जयपुर, हाल सहायक लेखाधिकारी जे.डी.ए. जोन–5 जयपुर, 4)–विजय मीणा पुत्र श्री देवकुमार मीणा जाति मीणा निवासी मकान नं. 07 शिव कॉलोनी आगरा रोड़ प्रेमनगर जयपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी जे.डी.ए. जोन–4 जयपुर तथा 5)–अखिलेश कुमार पुत्र श्री काशीनाथ मौर्या जाति माली निवासी प्लाट नं. 11 सुदामापुरी पंचवटी कॉलोनी खातीपुरा रोड़ सोड़ाला नवजीवन स्कूल के पास जयपुर, हाल संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर जे.डी.ए. जोन–4 जयपुर को 1 लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।